172

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प. 4(85)वित्त–1(1)आय.व्य/2017 जयपुर, दिनांक : 19 मार्च, 2019

कोषाधिकारी
उदयपुर।

स्वीकृति संख्या– 780/2018–19

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि रुपये 800.99 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6/लेखा/सीटीएडी/275(1)प्रस्ताव/2018–19 स्वीकृति संख्या 72/2018–19 दिनांक 01.03.2019 राशि रूपये 800.00 लाख, एवं स्वीकृति संख्या 75/2018–19 दिनांक 01.03.2019 राशि रूपये 0.99 लाख में अंकित शर्तो के अनुसार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी खाते में कुल राशि रुपये 800.99 लाख (अक्षरे रुपये आठ करोड निन्यानवें हजार) मात्र की राशि निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:–

मांग संख्या–30
4225 –अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
02 –अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
796 –जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(11) – संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनायें
[01] – आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण
17 – वृहद निर्माण कार्य। राशि रुपये 800.00 लाख
[10] – सडक एवं पुलिया निर्माण।
17 –वृहद निर्माण कार्य राशि रुपये 0.99 लाख
योग राशि रुपये 800.99 लाख

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा–निर्देशो की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नही किया जावेगा।

आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के पालन का दायित्व प्रशासनिक विभाग/संबंधित विभाग का होगा तथा आवश्यकता होने पर निर्वाचन विभाग से अनुमति प्रशासनिक विभाग/संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त की जाएगी।

भवदीय,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/ लेखा परीक्षा– प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त (बजट–सा.नि.वि.) विभाग, जयपुर।
7. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

19/3/19